समक्ष : अशोक शिवहरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 51/तीन-2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 16.12.2013 पारित – अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर –प्रकरण कमांक 202/08–09 निगरानी

1– गुन्नालाल पुत्र नथुवा लुहार
2– कोमल पुत्र दुर्जन लुहार
3– रामप्रसाद पुत्र गोरेलाल लुहार
तीनों निवासी ग्राम धुवारा
तहसील बड़ा मलहरा जिला छतरपुर ———आवेदकगण

विरूध्द

1– गुन्नालाल पुत्र लक्ष्मीचंद जैन
2 – सीताराम पुत्र देवीचरण सविता
निवासीगण ग्राम धुवारा तहसील बड़ा मलहरा
जिला छतरपुर मध्य प्रदेश
3– म0प्र0शासन ———अनावेदकगण

आवेदकगण के अभिभाषक श्री अनिल कुमार पाठक
अनावेदकगण के अभिभाषक श्री अशोक जैन

आदेश

(आज दिनांक 26/6 – 2014 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्र0क0 202/2008–09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16 12–13 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है अनावेदकगण ने अतिरिक्त तहसीलदार उप तहसील घौरा जिला टीकमगढ़ के समक्ष दिनांक 10–3–2008 को इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उन्होंने भैयन पुत्र नन्दा गड़रिया से भूमि सर्वे कमांक 651/9 रकबा 0.032 है. विक्रय पत्र दिनांक 27 6–92 से क्रय की है जिसका दिनांक 10 6 96 को सीमांकन हो चुका है एंव मौके पर चिन्हित सीमाओं अनुसार भूमि रिक्त है जिस पर

मकान बनाये जाने का कार्य कराने पर आवेदकगण व्दारा कोई कार्य नहीं करने दिया जा रहा है तथा कार्य बंद करवा दिया है। अति. तहसीलदार उप तहसील धुवारा तहसील बड़ा मलहरा ने राजस्व निरीक्षक धुवारा से मौके की जांच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त किया एंव प्रकरण कमांक 4 अ 70/20078-08 पंजीबद्व किया तथा उभय पक्ष की सुनवाई करते हुये तहसीलदार धुवारा ने आदेश दिनांक 19-1-2009 पारित किया तथा संहिता की धारा 250 के अंतर्गत भूमि सर्वे कमांक 651/9 रकबा 0.032 है. अनावेदकगणों की पाये जाने से आवेदकों को भूमि से बेदखल करने एंव मौके पर कब्जा दिलाये जाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगणों ने अनुविभागीय अधिकारी, विजाबर के समक्ष अपील कमांक 52/2008-09 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 9-7-2009 से तहसीलदार धुवारा का आदेश दिनांक 19-1-2009 निरस्त किया गया एंव उभय पक्षों को श्रवण कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी कमांक 202/2008-09 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 16-12 13 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी, विजाबर का आदेश दिनांक 9-7-2009 निरस्त किया गया एंव तहसीलदार धुवारा का आदेश दिनाक 19-1-2009 स्थिर रखा गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये तथा आवेदकगण के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि खसरा कमांक 651 एंव खसरा कमांक 650 ग्राम धुवारा में स्थित है एंव दोनों खसरों की भूमियॉ एक-दूसरे से लगी हुई है। खसरा नंबर 651 भैया गड़रिया की थी जो भूखंडों के रूप में होने से विक्रय हुई है संपूर्ण भूमि सागर-टीकमगढ़ रोड की ओर है उसके बाद आवेदकगण की भूमि है। खसरा कमांक 651 में से सागर-टीकमगढ़ रोड निकला हुआ है जिसके कारण

इसका काफी रकबा रोड में चला गया है लेकिन विकय पत्रों में रोड नहीं दर्शाया जाता, अपितु रकबा लिखकर संपादित कर दिये जाते हैं। पूर्व के केतागणों ने अपने अपने मकान बना लिये हैं शेष बचे रकबे में रोड का रकबा नहीं घटाया जाता, तब तक सही स्थिति नहीं निकलेगी और इसी कारण आवेदकगण को राजस्व अधिकारियों से मिलकर अनावेदकगण व्दारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिसके कारण निगरानी स्वीकार कर अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की।

अनावेदकगण के अभिभाषक ने बताया कि मौके पर जांच हुई है राजस्व निरीक्षक ने पूर्ण पैमायश उपरांत मौके की स्थिति पर प्रतिवेदन दिया है मौके की नप्ती अनुसार पंचनामा बनाया है जहां पर आवेदकगण उपस्थित थे किन्तु उन्होंने पंचनामे पर दस्तखत करने से मना किया है । मौके पर अनावेदकगण की भूमि पर आवेदकगण व्दारा जबरन कब्जा करना पाया गया है इसलिये तहसीलदार ने संहिता की धारा 250 के अंतर्गत उचित आदेश पारित किया है इसीलिये अपर कलेक्टर छतरपुर ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया है। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि यह तथ्य निर्विवाद है कि अनावेदकगण ने भैयन पुत्र नन्दा गड़रिया से भूमि खसरा कमांक 651/9 रकबा 0.032 है. विकय पत्र दिनांक 27–6–92 से कय की है जिसका दिनाक 10–6–96 को सीमांकन कराया है और वह उक्त भूमि के वह रिकार्डेड भूमिस्वामी हैं। तहसीलदार के प्रकरण में राजस्व निरक्षक का मौके की स्थिति अनुसार जांच प्रतिवेदन दिनांक 17-2–2008 संलग्न है जिसके पुष्टिकरण में दिनांक 13–3–2008 को ग्राम धुवारा में पंचों के समक्ष तैयार किया गया पंचनामा संलग्न है जिनमें वर्णित तथ्यों अनुसार मौके पर स्थित बंदोवस्ती कुआ नंबर 2578 तथा उसके उत्तर दिशा में स्थित कुआ खसरा नंबर 647 के बीच की दूरी (सीमा- चिन्ह)बनाकर पैमायश हुई है जो 8 जरीब 50 कड़ी पाई गई, इसी लायन पर खसरा नंबर 2578 कुआ से खसरा नंबर 647 के कुआ के

उत्तर दिशा की ओर जरीब 4 कड़ी 40 पूर्व दिशा की ओर लंबाई डाली गई जो खसरा नंबर 650 एंव 651 के दक्षिण पश्चिम कौने पर 3 जरीब 75 कड़ी पाई गई जिसमें खसरा नंबर 651 का दक्षिण पश्चिम कौना पाया गया और इसी स्थान से उत्तर दिशा की ओर 25 कड़ी छोड़कर खसरा नंबर 650 की मेड़ के समानान्तर एक जरीब 80 कड़ी उत्तर दिशा की ओर चिन्ह है जो टीकमगढ़ सागर सड़क के बीच से 55 फीट छोडकर निर्धारित किया गया है इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम कौने से 115 फीट छोडकर 60 फीट नापा गया है जिस पर तहसीलदार ने हितबद्व पक्षकारों को सुनकर एंव मौके की वास्तविक स्थित जानकर आदेश दिनांक 19-1-09 पारित किया है किन्तु अनुविभागीय अधिकारी विजावर ने वास्तविक तथ्यों को नजरन्दाज करके तहसीलदार के आदेश को निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है जो पक्षकारों के बीच व्यर्थ की मुकदमेवाजी बढ़ायेगा, जिसके कारण अपर कलेक्टर छतरपुर ने अनुविभागीय अधिकारी विजावर के आदेश दिनांक 9-7-09 में विसंगतियॉ पाने के कारण निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष अथवा खामियॉ नजर नहीं आती हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्र0क0 202/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 16 12-13 स्थिर रहता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर